

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

- 1) निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।
- 2) अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर।

पटना, दिनांक : 11-12-17

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ-0001-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ विपत्र कोड- 20-2210061070001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते इकाईयो में कुल ₹36,54,500/- (छत्तीस लाख चौवन हजार पाँच सौ रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।


महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-13(7)ब दिनांक-15.05.17, 53(7)ब दिनांक-30.08.17 एवं 95(7)ब दिनांक-01.11.17 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते इकाईयो में कुल ₹36,54,500/- (छत्तीस लाख चौवन हजार पाँच सौ रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।
3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ-0001-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ विपत्र कोड- 20-2210061070001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश संख्या-69(7) दिनांक-10.08.17) से प्राप्त राशि से इसकी निकासी की जायेगी।
4. लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/ जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।


1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।



7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन, /



(सच्चिदानंद चौधरी)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 110(7)Q

पटना, दिनांक : 11-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर,स्वास्थ्य/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग,पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव



विवरणी-I

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ उपशीर्ष अन्तर्गत विपत्र कोड-2210061070001 में वेतन भत्ता के लिए अतिरिक्त आवंटन

| क्रम | जिला का नाम   | वेतन<br>(01-01) | जीवन यापन भत्ता<br>(01-03) | मकान भत्ता<br>(01-04) | परिवहन भत्ता<br>(01-05) | चिकित्सा भत्ता<br>(01-06) | अन्य भत्ता<br>(01-07) | योग वेतन | अभ्युक्ति    |
|------|---|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 1    | 2   | 3               | 4                          | 5                     | 6                       | 7                         | 8                     | 9        | 10           |
| 1    | निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना                           | 600000          | 600000                     | 60000                 | 350000                  | 12000                     | 18000                 | 1640000  | 832/3.11.17  |
| 2    | अधीक्षक, जवारहलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर | 850000          | 1020000                    | 102000                | 0                       | 17000                     | 25500                 | 2014500  | 4138/8.11.17 |
|      | कुल   | 1450000         | 1620000                    | 162000                | 350000                  | 29000                     | 43500                 | 3654500  |              |

(छत्तीस लाख चौवन हजार पाँच सौ) रू० मात्र

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

| क्रमांक | प्राथमिक इकाई एवं कोड              | बजट उपबंध | पूर्व में आवंटित राशि | वर्तमान आवंटित राशि | कुल आवंटित राशि | अवशेष राशि |
|---------|------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1       | 2                                  | 3         | 4                     | 5                   | 6               | 7          |
| 1       | वेतन (0001-01-01)                  | 19011000  | 17160000              | 1450000             | 18610000        | 401000     |
| 2       | जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)       | 24905000  | 23170000              | 1620000             | 24790000        | 115000     |
| 3       | मकान किराया भत्ता (0001-01-04)     | 3504000   | 3320000               | 162000              | 3482000         | 22000      |
| 4       | परिवहन भत्ता (0001-01-05)          | 410000    | 50000                 | 350000              | 400000          | 10000      |
| 5       | चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)        | 173000    | 125040                | 29000               | 154040          | 18960      |
| 6       | अन्य भत्ता (0001-01-07)            | 951000    | 903600                | 43500               | 947100          | 3900       |
|         | योग 20-2210.06.107.0001.01-वेतन    | 48954000  | 44728640              | 3654500             | 48383140        | 570860     |
| 7       | चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)  | 500000    | 374659                | 0                   | 374659          | 125341     |
| 8       | यात्रा व्यय (0001-11-01)           | 200000    | 110000                | 0                   | 110000          | 90000      |
| 9       | कार्यालय व्यय (0001-13-01)         | 200000    | 170000                | 0                   | 170000          | 30000      |
| 10      | विधि प्रभार (0001-13-05)           | 100000    | 0                     | 0                   | 0               | 100000     |
| 11      | वर्दी / पोषाक (0001-13-06)         | 80000     | 58000                 | 0                   | 58000           | 22000      |
| 12      | किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)   | 100000    | 100000                | 0                   | 100000          | 0          |
| 13      | प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)        | 261000    | 0                     | 0                   | 0               | 261000     |
| 14      | सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01) | 120000    | 55000                 | 0                   | 55000           | 65000      |
| 15      | मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)      | 100000    | 100000                | 0                   | 100000          | 0          |
|         | कुल योग:-                          | 50615000  | 45696299              | 3654500             | 49350799        | 1264201    |

110(7)9

11-12-17

सरकार के विशेष सचिव